न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – चैनाराम चोधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण सख्या – 24/2014(56/2010)

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमति सोवनकुंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपुत निवासी मोदरान		1. जोगसिंह पुत्र धरमसिंह 2. शोबसिंह पुत्र धरमसिंह 3. वगतसिंह पुत्र धरमसिंह 4. श्रीमति देसूकंवर पत्नी नैनसिंह 5. भीमसिंह पुत्र गुमानसिंह 6. दलपतसिंह पुत्र गुमानसिंह 7. बलवंतसिंह पुत्र गुमानसिंह जातियान राजपुत निवासीयान सेरणा 8. भूमिधारी तहसीलदार

दावा बाबत बंटवाडा, खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक : 17.10.2016**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण मे न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2016 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सेरणा के खसरा नम्बर 1609 रकबा 2.40 हैक्टेयर में वादिया 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित की जाती है एवं वाद संख्या 24/2014 (56/2010) माफिक परिशिष्ट अ अनुसार वादिया के 1/2 हिस्से एवं शेष 1/2 हिस्से का अन्य सहखातेदार के मध्य विभाजन किये जाकर विभाजन करवाया जाकर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार जसवंतपुरा से चाहे गये। तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में उपरोक्त आराजी के निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये–

1. वादीया श्रीमति सोवनकुवंर पत्नी रामसिंह कौम राजपुत सा. मोदरा खातेदार के बंट में रखी गई भूमि –

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दर	लगान	नक्शा ट्रेस में दर्शित रंग
1609 मे से	1.20	चा.प्र. 0.89	33	29.37	हरा
		जा.प्र. 0.31	9	2.79	
				32.16	

2. प्रतिवादीगण वगतसिंह जोगसिंह शोबसिंह पि. धरमसिंह देसूकंवर धर्मपत्नी स्व. नेनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के बंट में रखी गई भूमि –

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दर	लगान	नक्शा ट्रेस में दर्शित रंग
1609 मे से	1.20	चा.प्र. 0.89	33	29.37	लाल
		जा.प्र. 0.31	9	2.79	
				32.16	

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा
मुख्यालय भीनमाल

Scanned by CamScanner

95

इस प्रकार विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर द्वारा तहसीलदार जसवंतपुरा की और से प्रस्तुत किये गये विभाजन के प्रस्ताव पर आपति व्यक्त करते हुए उल्लेख किया कि तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नही किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरित पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता धरमसिंह के हक में वादी द्वारा दौराने दावा खरीदसुदा भूमि को वादी के हक पूर्वाधिकारी गुमानसिंह द्वारा उक्त भूमि को बंटवाडा के जरिए अपने हक का 1/2 हिस्से का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता धरमसिंह को जरिए बंटवाडा लिखत के वर्ष 1966 में सुपुर्द किया गया था। तब से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त मौके पर वर्ष 1966 से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता धरमसिंह व उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कदीमी से निरन्तर व निर्बाध रूप से आज दिन तक चला आ रहा है तथा मौका कमिश्नर मे भी अपनी रिपोर्ट मे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा प्रमाणित किया है तथा मौके पर भूमि एक चक मे है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का रहवास है तथा स्व. नैनसिंह का थान बना हुआ है एवं वादी द्वारा अपने वाद मे भी कही पर भी कब्जे की इस्तदुआ नही मांगी है तथा न ही वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से किसी भी प्रकार के कब्जे को सुपर्द करने का आदेश हुआ है इन सब बातो को दरकिनार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का खसरा नम्बर 1609 रकबा 2.40 हैक्टेयर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा होते हुए भी तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा वादी से मिलावट कर मौके से विपरित जाकर विभाजन प्रस्ताव श्रीमान अदालत हाजा मे पेश किया है, जो कतई मानने योग्य नही है। इस विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश कर पुनः विभाजन प्रस्ताव जारी करने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत उक्त आपति प्रार्थना पत्र की प्रति वादीया के अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीया के अधिवक्ता द्वारा उक्त आपति पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। जिस पर दोनो पक्षकारान के विद्धान अधिवक्तागण की बहस उक्त प्रार्थना पत्र पर सूनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबधित एक वाद जोगसिंह बनाम भीमसिंह बाबत घोषणा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व एक वाद वादीया सोकन कुवंर बनाम जोगसिंह बाबत बंटवाडा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो दोनो वाद न्यायालय हाजा द्वारा संकलित कर एक साथ मामले में तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्यो व दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर निस्तारण किया गया। जिसके तहत वादी जोगसिंह बनाम भीमसिंह का वाद बाबत खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया गया व वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक

सहायक कलेक्टर जसवन्तपुरा

Scanned by CamScanner

96

डिक्री सादिर की गई जिसके आधार पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा मौके एवं रेकर्ड अनुसार तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन के प्रस्ताव उपतहसीलदार रामसीन, पटवारी हल्का एवं मौतबिरान के रूबरू प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार पुनः विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये जाने न्याय संगत प्रतीत नही होते है। अतः प्रतिवादीगण 1 से 4 की और से प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2016 अस्वीकार किया जाता है एवं मामले में तहसीलदार जसवंतपुरा की और से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :–

1. वादीया श्रीमति सोवनकुवंर पत्नी रामसिंह कौम राजपुत सा. मोदरा खातेदार के बंट में रखी गई भूमि –

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दर	लगान	नक्शा ट्रेस में दर्शित रंग
1609 मे से	1.20	चा.प्र. 0.89	33	29.37	हरा
		जा.प्र. 0.31	9	2.79	
				32.16	

2. प्रतिवादीगण वगतसिंह जोगसिंह शोबसिंह पि. धरमसिंह देसूकंवर धर्मपत्नी स्व. नेनसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के बंट में रखी गई भूमि –

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	दर	लगान	नक्शा ट्रेस में दर्शित रंग
1609 मे से	1.20	चा.प्र. 0.89	33	29.37	लाल
		जा.प्र. 0.31	9	2.79	
				32.16	

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान अपने–अपने बंट में आई आराजी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की एक दुसरे के दखल अदांजी नही करे एवं नही किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को निर्णय की प्रति व नक्शा किस्तवार पालनार्थ भेजा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

(चैनाराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर
जसवंतपुरा मु.भीनमाल

सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
न्यायालय भीनमाल

Scanned by CamScanner